अनुदान संख्या 49 - भारी उद्योग विभाग
GRANT No. 49–DEPARTMENT OF HEAVY INDUSTRY

			कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	अधिक व्यय+ Excess+ बचत- Saving–
					(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)
राजस्व:	**Revenue:**				
स्वीकृत-	Voted–				
मूल	Original	275,56,00	791,04,00	711,65,28	–79,38,72
पूरक	Supplementary	515,48,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				79,63,41
पूंजीगत:	**Capital:**				
स्वीकृत-	Voted–				
मूल	Original	536,44,00	536,48,00	368,43,00	–168,05,00
पूरक	Supplementary	4,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				168,01,00

टीका और टिप्पणियां

1. अनुदान के राजस्व भाग में, कुल बचतें (7938.72 लाख रु.) दिसम्बर, 2009 और मार्च, 2010 में प्राप्त किए गए 51548.00 लाख रु. के पूरक अनुदान का 15 प्रतिशत और कुल स्वीकृत प्रावधान का 10 प्रतिशत थीं। अभ्यर्पित राशि (7963.41 लाख रु.) भी कुल बचतों से अधिक हो गई।

बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआ:-

Notes and comments

1. In the revenue section of the grant, the overall savings (Rs.7938.72 lakhs) constituted 15 percent of the supplementary grants of Rs.51548.00 lakhs obtained in December, 2009 and March, 2010 and 10 percent of the total sanctioned provision. The amount surrendered (Rs.7963.41 lakhs) also exceeded the overall savings.

Savings/excess occurred under the following major heads:-

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	अधिक व्यय+ Excess+
			(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)		
मुख्य शीर्ष "3451" सचिवालय - आर्थिक सेवाएं	Major Head "3451" Secretariat - Economic Services				
मू.	O.	1860.00	1612.37	1617.39	+5.02
पु.	R.	–247.63			
मुख्य शीर्ष "2852" उद्योग	Major Head "2852" Industries				
मू.	O.	25696.00			
पू.	S	51548.00	69528.22	69547.89	+19.67
पु.	R.	–7715.78			

(I) 2402.00 लाख रु. का प्रावधान चार शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा; इनमें से 2400.00 लाख रु. अकेले मुख्य शीर्ष "2852" - "इंजीनियरी उद्योग - अन्य इंजीनियरी उद्योग - पूंजीगत माल क्षेत्र का आधुनिकीकरण" के अंतर्गत व्यय वित्त समिति की बैठक आयोजित न किए जाने के कारण लेखाबद्ध किए गए।

(II) मुख्य शीर्ष "3451" - "सचिवालय - भारी उद्योग विभाग" के अंतर्गत 242.61 लाख रु. की बचत (1860.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) छठे केंद्रीय वेतन आयोग की रिपोर्ट संबंधी बकाया की अदायगी के लिए बिलों की प्राप्ति न होने और किफायत के उपाय किए जाने के कारण हुई।

(III) मुख्य शीर्ष "2852" के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं:-

(का) "इंजीनियरी उद्योग - अन्य इंजीनियरी उद्योग - स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति स्कीम लागू किए जाने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों को बैंक वित्त पर ब्याज सहायता" - 1002.14 लाख रु. की बचत (2029.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना

(I) Provision of Rs.2402.00 lakhs remained wholly unutilised under four heads; of these Rs.2400.00 lakhs alone accounted for under Major Head "2852" – "Engineering Industries – Other Engineering Industries – Modernisation of Capital Goods Sector" – due to non-holding of meeting of Expenditure Finance Committee.

(II) Under Major Head "3451" – "Secretariat – Department of Heavy Industry" – saving of Rs.242.61 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1860.00 lakhs) was due to non-receipt of bills for payment of arrears of 6th Central Pay Commission Report and economy measures.

(III) Under Major Head "2852" – savings occurred under the following heads:-

(A) "Engineering Industries – Other Engineering Industries – Interest subsidy on bank finance to Public Sector Enterprises for implementation of Voluntary Retirement

में) वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित अनुमान चरण पर प्रावधान में कटौती किए जाने तथा केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों से कम मांग होने के कारण हुई।

(खा) ''सामान्य'' -

(क) ''औद्योगिक शिक्षा, अनुसंधान और प्रशिक्षण'' -

(i) ''विज्ञान और प्रौद्योगिकी योजना से संबंधित व्यय'' - 1096.75 लाख रु. की बचत (2965.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) अनुसंधान और विकास संस्थाओं से उपयुक्त प्रस्ताव प्राप्त न होने के कारण हुई।

(ii) ''राष्ट्रीय स्वचालित परीक्षण एवं अनुसंधान और विकास अवसंरचना परियोजना'' - 3441.00 लाख रु. की बचत (18000.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) योजना आयोग द्वारा स्कीमों को अनुमोदन प्रदान न किए जाने के कारण हुई।

(ख) ''अन्य व्यय - संवर्धनात्मक कार्यकलाप शुरू करने के लिए औद्योगिक संघ और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को सहायता अनुदान की स्कीम'' - 105.76 लाख रु. की बचत (300.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कम प्रस्ताव प्राप्त होने के कारण हुई।

2. उपर्युक्त बचतें पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए आंशिक रूप से (346.79 लाख रु.) प्रयुक्त हो गईं जैसा कि मुख्य शीर्ष ''2852'' - ''इंजीनियरी उद्योग - अन्य इंजीनियरी उद्योग'' के अंतर्गत निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत 1.00 लाख रु. का सांकेतिक पूरक अनुदान प्राप्त करते समय संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था:-

(का) ''भारत यंत्र निगम लि. बंद किए जाने के कारण कर्मचारियों के वेतन एवं मजदूरी और सांविधिक देयताओं की अदायगी'' - 116.79 लाख रु.। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय 115.78 लाख रु. था।

Scheme" – saving of Rs.1002.14 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.2029.00 lakhs) was due to reduction of provision at revised estimates stage by Ministry of Finance and less demand from Central Public Sector Enterprises.

(B) "General" –

(a) "Industrial Education, Research and Training" –

(i) "Expenditure in connection with Science & Technology Plan" – saving of Rs.1096.75 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.2965.00 lakhs) was due to non-receipt of adequate proposals from Research and Development Institutions.

(ii) "National Automotive Testing and R&D Infrastructure Project"– saving of Rs.3441.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.18000.00 lakhs) was due to non-approval of schemes by Planning Commission.

(b) "Other Expenditure – Scheme of Grants–in-aid to Industrial Associations and PSUs for undertaking promotional activities" – saving of Rs.105.76 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.300.00 lakhs) was due to receipt of less proposals.

2. The above savings were partly (Rs.346.79 lakhs) utilised for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to Parliament while obtaining token supplementary grant of Rs.1.00 lakh under Major Head "2852" – "Engineering Industries – Other Engineering Industries" – under the following heads:-

(A) "Payment of salary & wages and Statutory dues of employees due to closure of Bharat Yantra Nigam Ltd." – Rs.116.79 lakhs. Actual excess, however, was Rs.115.78 lakhs.

(खा) ''भारत वैगन एवं इंजीनियरी कं लि. की अनुमोदित पुनर्गठन योजना के भाग के रूप में कर्मचारियों के वेतन एवं मजदूरी और सांविधिक देयताओं की अदायगी'' - 230.00 लाख रु.।

(B) "Payment of Salaries and Wages and Statutory dues of Employees as part of approved restructuring plan of Bharat Wagon and Engineering Co. Ltd." – Rs.230.00 lakhs.

3. अनुदान के पूंजीगत भाग में, बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआ:-

3. In the capital section of the grant, savings/ excess occurred under the following major heads:-

शीर्ष Head			कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	अधिक व्यय+ Excess+ बचत- Saving–
			(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)		
मुख्य शीर्ष ''4552'' उत्तर पूर्वी क्षेत्रों पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "4552" Capital Outlay on North Eastern Areas				
मू.	O.	3500.00			
पु.	R.	–3500.00	. .	. .	. .
मुख्य शीर्ष ''4854'' सीमेंट और धातु रहित खनिज उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "4854" Capital Outlay on Cement and Non-metallic Mineral Industries				
मू.	O.	501.00			
पु.	R.	–501.00	. .	. .	. .
मुख्य शीर्ष ''4858'' इंजीनियरी उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "4858" Capital Outlay on Engineering Industries				
मू.	O.	4924.00			
पू.	S.	2.00	734.00	4568.00	+3834.00
पु.	R.	–4192.00			

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving–
			(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)		
मुख्य शीर्ष ''4860'' उपभोक्ता उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "4860" Capital Outlay on Consumer Industries				
मू.	O.	653.00	400.00	400.00	. .
पु.	R.	–253.00			
मुख्य शीर्ष ''6854'' सीमेंट और धातुरहित खनिज उद्योगों के लिए कर्ज	Major Head "6854" Loans for Cement and Non-metallic Mineral Industries				
मू.	O.	15000.00	. .	. .	. .
पु.	R.	–15000.00			
मुख्य शीर्ष ''6858'' इंजीनियरी उद्योगों के लिए कर्ज	Major Head "6858" Loans for Engineering Industries				
मू.	O.	28416.00	30677.00	26840.00	–3837.00
पू.	S.	1.00			
पु.	R.	2260.00			
मुख्य शीर्ष ''6860'' उपभोक्ता उद्योगों के लिए कर्ज	Major Head "6860" Loans for Consumer Industries				
मू.	O.	650.00	5036.00	5035.00	–1.00
पू.	S.	1.00			
पु.	R.	4385.00			

(I) 49196.00 लाख रु. का प्रावधान अठारह शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा; इनमें से 49187.00 लाख रु. निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत लेखाबद्ध किए गए:-

(I) Provision of Rs.49196.00 lakhs remained wholly unutilised under eighteen heads; of these Rs.49187.00 lakhs accounted for under the following major heads:-

(का) मुख्य शीर्ष "4552'' -

(क) "अन्य इंजीनियरी उद्योग - सार्वजनिक क्षेत्र के और अन्य उपक्रमों में निवेश - एंड्रयू यूल एंड कं. लि.'' - 678.00 लाख रु.; और

(ख) "कागज और अखबारी कागज - सार्वजनिक क्षेत्र के और अन्य उपक्रमों में निवेश - हिंदुस्तान पेपर निगम लिमिटेड'' - 2822.00 लाख रु.।

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत प्रावधान पिछले वर्ष का अव्ययित शेष उपलब्ध होने के कारण अप्रयुक्त रहा।

(खा) मुख्य शीर्ष "4854'' - "अन्य - अन्य व्यय - सार्वजनिक क्षेत्रों के उपक्रमों में परिवर्धन, आशोधन और प्रतिस्थापन के लिए निवेश'' - 500.00 लाख रु. सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से मांग प्राप्त न होने के कारण थे।

(गा) मुख्य शीर्ष "4858'' -

(क) परिवहन उपस्कर उद्योग - सार्वजनिक क्षेत्र के और अन्य उपक्रमों में निवेश - स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड में निवेश'' - 300.00 लाख रु.; और

(ख) अन्य इंजीनियरी उद्योग - सार्वजनिक क्षेत्र के और अन्य उपक्रमों में निवेश'' -

(i) "एचएमटी लिमिटेड में निवेश'' - 1842.00 लाख रु.।

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत प्रावधान पिछले वर्ष का अव्ययित शेष उपलब्ध होने के कारण अप्रयुक्त रहा।

(ii) "भारत भारी उद्योग निगम लिमिटेड में निवेश'' - 1044.00 लाख रु. सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों का भविष्य अनिश्चित होने, पिछले वर्ष का अव्ययित शेष उपलब्ध होने और योजना आयोग द्वारा स्कीमों को अनुमोदन प्रदान न किए जाने के कारण थे।

(A) Major Head "4552" –

(a) "Other Engineering Industries – Investments in Public Sector and Other Undertakings– Andrew Yule & Co. Ltd." – Rs.678.00 lakhs; and

(b) "Paper and Newsprint – Investments in Public Sector and Other Undertakings – Hindustan Paper Corporation Ltd." – Rs.2822.00 lakhs.

Provisions under the above two heads remained unutilised due to availability of unspent balance of previous year.

(B) Major Head "4854" – "Others – Other Expenditure – Investment for Addition, Modification and Replacement in PSUs" – Rs.500.00 lakhs – due to non-receipt of demand from Public Sector Undertakings.

(C) Major Head "4858" –

(a) "Transport Equipment Industries – Investments in Public Sector and Other Undertakings – Investment in Scooters India Ltd." – Rs.300.00 lakhs; and

(b) "Other Engineering Industries – Investments in Public Sector and Other Undertakings" –

(i) "Investment in HMT Ltd." – Rs.1842.00 lakhs.

Provisions under the above two heads remained unutilised due to availability of unspent balance of previous year.

(ii) "Investment in Bharat Bhari Udyog Nigam Ltd." – Rs.1044.00 lakhs – due to uncertain future of the Public Sector Enterprises, availability of unspent balance of previous year and non-approval of schemes by Planning Commission.

(iii) "सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के पुनर्गठन के लिए एकमुश्त प्रावधान'' - 1500.00 लाख रु. कम प्रस्ताव प्राप्त होने की वजह से संशोधित अनुमान चरण पर आंशिक निधियां अभ्यर्पित किए जाने और इन्स्ट्रुमेंटेशन लिमिटेड, कोटा के पुनर्गठन के लिए शेष निधियों का पुनर्विनियोग किए जाने के कारण थे।

(घा) मुख्य शीर्ष "4860'' - "कागज और अखबारी कागज - सार्वजनिक क्षेत्र के और अन्य उपक्रमों में निवेश - हिंदुस्तान पेपर कारपोरेशन लिमिटेड में निवेश'' - 251.00 लाख रु. यू.पी. पेपर मिल के लिए भूमि का अधिग्रहण न किए जाने के कारण थे।

(ङ) मुख्य शीर्ष "6854'' - "अन्य - अन्य कर्ज - सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यामों की पुन:प्रवर्तन स्कीमों का कार्यान्वयन'' - 15000.00 लाख रु. पुन:प्रवर्तन स्कीमों के अंतर्गत सार्वजनिक क्षेत्र के विभिन्न उद्यमों को निधियों का पुनर्विनियोग किए जाने के करण थे।

(चा) मुख्य शीर्ष "6858'' - "अन्य इंजीनियरी उद्योग - सार्वजनिक क्षेत्र के और अन्य उपक्रमों को कर्ज - स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति स्कीमें लागू किया जाना और सांविधिक देयताओं की अदायगी'' - 25000.00 लाख रु. सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों द्वारा पुन:प्रवर्तन स्कीमें और स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति स्कीम/ स्वैच्छिक वियोजन स्कीम लागू किए जाने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के विभिन्न उद्यमों को निधियों का पुनर्विनियोग किए जाने और सांविधिक देयताओं की अदायगी किए जाने के कारण थे।

(छा) मुख्य शीर्ष "6860'' - "कागज और अखबारी कागज - सार्वजनिक क्षेत्र के और अन्य उपक्रमों को कर्ज'' - 250.00 लाख रु. यू.पी. पेपर मिल लिमिटेड के लिए भूमि का अधिग्रहण न किए जाने के कारण थे।

4.(I) उपर्युक्त बचतें पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए आंशिक रूप से (4372.82 लाख रु.) प्रयुक्त हो गईं जैसा कि निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत मार्च, 2010 में 3.00 लाख रु. का सांकेतिक पूरक अनुदान प्राप्त करते समय संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था : -

(का) मुख्य शीर्ष "4858'' - "अन्य इंजीनियरी उद्योग - सार्वजनिक क्षेत्र के और अन्य उपक्रमों में निवेश - इन्स्ट्रुमेंटेशन

(iii) "Lump sum provision for Restructuring of PSEs" – Rs.1500.00 lakhs - due to surrender of part funds at revised estimates stage owing to receipt of less proposal and re-appropriation of balance funds for restructuring of Instrumentation Ltd., Kota.

(D) Major Head "4860" – "Paper and Newsprint – Investments in Public Sector and Other Undertakings – Investment in Hindustan Paper Corporation Ltd." – Rs.251.00 lakhs – due to non-acquisition of land for U.P. Paper Mill.

(E) Major Head "6854" – " Others – Other Loans – Implementation of revival schemes of PSEs" – Rs.15000.00 lakhs – due to re-appropriation of funds to various Public Sector Enterprises under revival schemes.

(F) Major Head "6858" – "Other Engineering Industries – Loans to Public Sector and Other Undertakings – Implementation of Voluntary Retirement Schemes (VRS) and payment of statutory dues" – Rs.25000.00 lakhs – due to re-appropriation of funds to various Public Sector Enterprises for implementation of revival schemes by Public Sector Enterprises and Voluntary Retirement Scheme/Voluntary Separation Scheme and payment of statuary dues.

(G) Major Head "6860" – "Paper and Newsprint – Loans to Public Sector and Other Undertakings - Loans to Hindustan Paper Corporation Ltd." – Rs.250.00 lakhs - due to non-acquisition of land for U.P. Paper Mill Ltd.

4.(I) The above savings were partly (Rs.4372.82 lakhs) utilised for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to Parliament while obtaining token supplementary grant of Rs.3.00 lakhs in March, 2010 under the following major heads:-

(A) Major Head "4858" – "Other Engineering Industries – Investments in Pubic Sector and Other

लिमिटेड में निवेश'' - 500.00 लाख रु.। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय 4334.00 लाख रु. था।

(खा) मुख्य शीर्ष ''6858'' - ''अन्य इंजीनियरी उद्योग - सार्वजनिक क्षेत्र के और अन्य उपक्रमों में निवेश'' -

(क) ''त्रिवेणी स्ट्रक्चर लिमिटेड को कर्ज - कर्मचारियों के वेतन/मजदूरी और सांविधिक देयताओं की अदायगी'' - 146.82 लाख रु.। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय 145.82 लाख रु. था।

(ख) ''तुंगभद्रा स्टील प्राडक्ट्स लिमिटेड को कर्ज - कर्मचारियों के वेतन/मजदूरी और सांविधिक देयताओं की अदायगी'' - 120.00 लाख रु.।

(गा) मुख्य शीर्ष ''6860'' - ''अन्य - फोटो फिल्म्स - हिन्दुस्तान फोटो फिल्म्स मैन्युफैक्चरिंग कम्पनी लिमिटेड को कर्ज'' - 3606.00 लाख रु.। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय 3605.00 लाख रु. था।

(II) बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा भी प्रतिसंतुलित हो गईं:-

(का) मुख्य शीर्ष ''6858'' -

(क) ''परिवहन उपस्कर उद्योग - सार्वजनिक क्षेत्र के और अन्य उपक्रमों को कर्ज - स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड को कर्ज'' - 2543.00 लाख रु. का अधिक व्यय (300.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों द्वारा पुन:प्रवर्तन स्कीमें लागू किए जाने और स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति स्कीम/सांविधिक देयताओं के लिए एकमुश्त प्रावधान से पुनर्विनियोग द्वारा निधियों का अंतरण किए जाने के कारण हुआ।

(ख) ''अन्य इंजीनियरी उद्योग - सार्वजनिक क्षेत्र के और अन्य उपक्रमों को कर्ज'' -

(i) ''हिंदुस्तान केबल्स लिमिटेड को कर्ज'' - 5565.00 लाख रु. का अधिक व्यय (शून्य प्रावधान की तुलना में) हुआ;

Undertakings – Investment in Instrumentation Ltd." – Rs.500.00 lakhs. Actual excess, however, was Rs.4334.00 lakhs.

(B) Major Head "6858" – "Other Engineering Industries – Loans to Public Sector and Other Undertakings" –

(a) "Loan to Triveni Structure Ltd. – payment of salaries/wages and statutory dues of employees" – Rs.146.82 lakhs. Actual excess, however, was Rs.145.82 lakhs.

(b) "Loan to Tungbhadra Steel Product Ltd. – payment of salaries/wages and statutory dues of employees" – Rs.120.00 lakhs.

(C) Major Head "6860" – "Others – Photo Films – Loans to Hindustan Photo Films Mfg. Company Ltd." – Rs.3606.00 lakhs. Actual excess, however, was Rs.3605.00 lakhs.

(II) Savings were also offset by excess under the following major heads:-

(A) Major Head "6858" –

(a) "Transport Equipment Industries – Loans to Public Sector and Other Undertakings – Loans to Scooters India Ltd." – excess of Rs.2543.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.300.00 lakhs) was due to transfer of funds by re-appropriation from lumpsum provision for implementation of revival schemes by Public Sector Enterprises and Voluntary Retirement Scheme/Statutory dues.

(b) "Other Engineering Industries – Loans to Public Sector and Other Undertakings" –

(i) "Loans to Hindustan Cables Ltd." – excess of Rs.5565.00 lakhs (against nil provision);

(ii) "एचएमटी लिमिटेड को कर्ज" - 14777.00 लाख रु. का अधिक व्यय (1842.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ;

(iii) "भारत भारी उद्योग निगम लिमिटेड को कर्ज" - 272.18 लाख रु. का अधिक व्यय (1043.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ;

(खा) मुख्य शीर्ष "6860" - "कागज और अखबारी कागज - सार्वजनिक क्षेत्र के और अन्य उपक्रमों को कर्ज - नेपा लिमिटेड को कर्ज" - 1029.00 लाख रु. का अधिक व्यय (शून्य प्रावधान की तुलना में) हुआ।

उपर्युक्त चार शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों द्वारा पुन:प्रवर्तन स्कीमें लागू किए जाने और स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति स्कीम/सांविधिक देयताओं के लिए एकमुश्त प्रावधान से पुनर्विनियोग द्वारा निधियों का अंतरण किए जाने के कारण हुआ।

(ii) "Loans to HMT Ltd." – excess of Rs.14777.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1842.00 lakhs);

(iii) "Loans to Bharat Bhari Udyog Nigam Ltd." – excess of Rs.272.18 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1043.00 lakhs); and

(B) Major Head "6860" – "Paper and Newsprint – Loans to Public Sector and Other Undertakings– Loans to Nepa Ltd." – excess of Rs.1029.00 lakhs (against nil provision).

Excess under the above four heads was due to transfer of funds by re-appropriation from lumpsum provision for implementation of revival schemes by Public Sector Enterprises and Voluntary Retirement Scheme/Statutory dues.